35

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 168/2013 दायर दिनांक–03.09.2013

1. संतोष पुत्र स्वी देबूराम पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाका का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. देबूराम पत्नी रमेश, जाति जाट निवासी ढाका का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. अशोक पुत्र स्व. नेमीचन्द
4. राजवीर पुत्र स्व. नेमीचन्द जाति समस्त जाट निवासी नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. सरोज पुत्री स्व. नेमीचन्द पत्नी दलीप सिह जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. रामदेव सिह
2. श्याम सिंह
3. हरपाल सिह

} पुत्रगण स्व. देबूराम जाति जाट निवासी ढाका काबास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

4. आशाराम पुत्र रामेश्वर
5. ईमरता देवी पत्नी सव. जोधाराम
6. ओमप्रकाश पुत्र खींवा
7. कमला पुत्री मोटाराम
8. कैलाश चन्द्र पुत्र खींवाराम
9. जगदीश प्रसाद पुत्र खींवा
10. धनी पुत्री रामेश्वर
11. धर्मवीर पुत्र देवकरण
12. नाराणी पत्नी स्व. रामेश्वर
13. पतासी देवी पत्नी मोटाराम
14. पूर्णमल पुत्र रामेश्वर
15. प्रभाती पत्नी स्व. रामेश्वर
16. परमेश्वरी पुत्री जोधाराम
17. बजरंगलाल पुत्र रामेश्वर
18. बनवास पुत्री हीरा
19. मंजू पुत्री जोधाराम
20. रतीराम पुत्र हीरा
21. राजबीर पुत्र देवकरण
22. रामकरण पुत्र हीरा
23. रामप्रताप पुत्र जोधाराम
24. विजेन्द्र पुत्र हीरा
25. विजय सिंह पुत्र देवकरण
26. विरेन्द्र सिंह पुत्र देवकरण
27. श्याना पत्नी स्व. खींवा
28. शर्मिला पुत्री मोटाराम
29. शीशराम पुत्र मोटाराम
30. सन्तरा पुत्री रामेश्वरराम
31. सन्तरा पुत्री मोटाराम
32. सुनिता पुत्री जोधाराम
33. सुभिता पुत्री मोटाराम
34. सुमेर सिह पुत्र जोधाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

35. सुरेन्द्र पुत्र मोटाराम
36. सुरेश कुमार पुत्री खींवा
37. सावित्री पुत्री मोटाराम
38. हरकोरी पुत्री रामेश्वर
समस्तगण जाति जाट निवासी ढाका का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
39. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाख बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
40. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : — **श्री सज्जन कुमार चाहर**
वकील प्रति॰ नं॰ : — **एकपक्षीय**

<u>दावा</u> : बाबत इश्तकरार हक, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 06—10—2022

वाद—पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :— वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 244, 246, 247, 76, 77, 177, 178, 181, 56 रकबा क्रमशः 0.54, 0.62, 0.48, 0.51, 0.21, 0.05, 2.24, 0.94, 0.60, 1.72, 0.07, 0.65, 1.48, 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 11.71 हैक्टर का पूर्व में खातेदार मोगाराम साकिन ढाका का बास रहा और बतौर काश्तकार काबिज काश्त रहा है। तत्कालीन ठिकान से उक्त भूमि को लगान की एवज मे काश्त हेतु मोगाराम ने प्राप्त की थी ओर बतौर काश्तकार मोगाराम जमीन पर काबिज काश्त रहा तथा लगान तत्कालीन ठिकाना को अदा किया। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभाव में आने के बाद मोगाराम ने जमीन का लगान राजस्थान सरकार को अदा किया। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के रोज व पहले व बाद में जमीन जैर बहस पर मोगाराम बतौर काश्तकार काबिज काश्त हुआ व रहा।

मोगाराम के देहान्त होने पर उताराधिकार में जमीन जैर बहस मेगारा के वारिस रामेश्वर देबूराम व देवकरण को मिली। उक्त वाद पत्र में देबूराम के 1/3 तक हिस्से में वादीगण द्वारा स्वयं के हक हिस्से की खातेदार अधिकारों की घोषणा के बाबत पेश किया है। वाद—पत्र मे विवादित जमीन जैर बहस वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 38 की पैतृक कृषि भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 चालाक व चतुर व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने देबूराम पुत्र मोगारा के देहान्त होने पर राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर देबूराम के समस्त वारिसान के नाम फौतगी नामान्तकरण दर्ज नही करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व देबूराम की पत्नी दड़की देवी के नाम गलत रूप से तस्दीक करवाया गया है। उक्त नामान्तकरण वादीगण के हक हकुकों के खिलाफ होने से आरम्भतः अवैध व शून्य है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 ने पुनः दड़की देवी पत्नी देबूराम का देहान्त होने पर दड़की देवी के हिस्से का फौतगी नामान्तकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से गलत रूप से दर्ज करवाया गया है। वादिया संख्या 1 व 2 देबूराम व दड़की देवी की पुत्री सन्तान होने से व वादीगण संख्या 4 से 5 देबूराम व दड़की देवी की पुत्री सन्तान स्वर्गीय गीता देवी की वारिसान है। स्व. गीता पुत्री देबूराम व दड़की के देहान्त के बाद हुआ है। इस कारण दड़की देवी व देबूराम के देहान्त होने पर उतराधिकार में गीता का हक हिस्सा वाद—पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित देबूराम के 1/3 हक हिस्से की भूमि में जरिये उतराधिकार 1/6 हक हिस्सा प्राप्त हुआ था। उक्त 1/6 हक हिस्से की स्वयं की खातेदारी की घोषणा करवाने के वादीगण 4 लगायत 5 कानुनन अधिकारी है।

वादीगण के हक हिससे की भूमि पर वादीगण का द[illegible] की देहान्त होने के बाद से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के साथ संयुक्त रूप में [illegible] रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादीगण के कब्जे काश्त में [illegible] अक्टूम्बर मे वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वाद—पत्र की मद संख्या [illegible] वर्णित भूमि का सहमति विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा गया तब प्रतिवादी संख्या 1 ल[illegible] 3 ने वादीगण को धमकी दी कि वादीगण के हक हिस्से के बाबत राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज नही हे। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के हक हिस्से से बेकब्जा करने की धमकी दी गई तब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की गई तब वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादीगण का विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में नाज दर्ज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधित अधिनियम की धारा 6 के तहत वाद–पत्र में विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वके साथ संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा कानूनन बनता है। वादीगण उक्तानुसार ही वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि में देबूराम पुत्र मोगाराम के 1/3 हक हिस्से की भूमि में स्वयं के हक हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व मुताबिक हक हिस्से विधिवत विभाजन करवाने के कानूनन अधिकारी है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 डिक्री किया जाकर जमीन वर्णित धारा 2 में भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 244, 246, 247, 76, 77, 177, 178, 181, 56 रकबा क्रमशः 0.54, 0.62, 0.48, 0.51, 0.21, 0.05, 2.24, 0.94, 0.60, 1.72, 0.07, 0.65, 1.48, 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 11.71 हैक्टर में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्से का व पृथक पृथक रूप से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/18 हक हिस्से व तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/18 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद किये जाने का आदेश तहसीलदार नवललगढ को दिये जावे।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य जमीन जैर बहस का विधिवत विभाजन किया जाकर खाता अलग–अलग कायम कर, लगान अलग–अलग कायम कर जमीन पर वादीगण को अलग से कब्जा सम्भलवाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वाद–पत्र से वादीगण को बदेखल नही करे कब्जे काश्त उपयोग–उपभोग में वादीगण के दखल नही देवें तथा जमीन को विक्रय रहन दाननही करे एवं अन्य किसी भी तरीके से स्थानान्तरित नही करें। अन्य कोई सिद्धि जो वादीगण के हक मे हो जो चाही जाने से रह गई हो वो भी वादीगण को दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से वकील श्री अनील कुमार सैनी ने अपना वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से वकील श्री सुनील कुमार जाखड़ ने अपना वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 लगायत 40 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 03 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी संख्या 3 श्री अशोक कुमार पुत्र नेमीचन्द उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 लगायत 24 तक प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा हो वाद–पत्र स्वीकार करने पर एवं शेष प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई हुई है तो शहादत प्रतिवादीगण नही ली गई।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 244, 246, 247, 76, 77, 177, 178, 181, 56 रकबा क्रमशः 0.54, 0.62, 0.48, 0.51, 0.21, 0.05, 2.24, 0.94, 0.60, 1.72, 0.07, 0.65, 1.48, 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 11.7[illegible] साकिन ढाका का बास रहा तत्कालीन ठिकाना से विवादित भूमि को लगान की एवज [illegible] मोगाराम ने प्राप्त करने पर मोगाराम काबिज काश्त रहा है। राजस्थ[illegible] आने के बाद मोगाराम ने जमीन का लगान राजस्थान सरकार [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के [illegible] जैर बहस पर मोगाराम बतौर काश्तकार काबिज काश्त रहा। मोगाराम के देहान्त होने पर उत[illegible]कार में जमीन जैर बहस मोगाराम के वारिस रामेश्वर देबूराम व देवकरण को मिली। वाद पत्र में देबूराम के 1/3 तक हिस्से में वादीगण द्वारा स्वयं के हक हिस्से की खातेदार अधिकारों की घोषणा के बाबत वाद पत्र पेश किया है। विवादित जमीन मोगाराम की खातेदारी की भूमि थीं। मोगाराम का देहान्त हो चुका है। मोगाराम के जायन्दा संतान तनी पुत्र रामेश्वर, देबूराम, व देवकरण पैदा हुये तीनो पुत्रो का भी देहान्त हो चुका है। मोगाराम के पुत्र रामेश्वर के जायन्दा संतान में तीन पुत्र व तीन पुत्रियां आशराम, पूर्णमल, बजरंगलाल, हरकोरी,

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damiyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

तरा, धनी पैदा हुई। मोगाराम के दुसरे पुत्र देबूराम के चार पुत्र व तीन पुत्रिया पेदा हुई। देबूराम के
डा पुत्र विधाधर अविवाहित रहते हुये फौत हो गया। विधाधर के अलावा देबूराम के वारिस रामदेव
सिंह, श्यामसिह, व हरपाल सिह पुत्र संतान व गीता देवी संतान थी। गीता देवी का भी देहान्त हो चुका
है। संतोष व निर्मला व मृतक गीता के विधिक वारिस है। तथा मोगाराम के पुत्र देवकरण के चार पुत्र
संतान पैदा हुई धर्मवीर, विरेन्द्र, राजवीर व विजय सिह तथा देवकरण की पत्नी प्रभाती देवी मृतक
देवकरण के विधिक वारिसान है। इस प्रकार विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 38
की पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने देबूराम पुत्र मोगाराम के देहान्त होने पर देबूराम के
समस्त वारिसान के नाम फौतगी नामान्तकरण दर्ज नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व देबूराम की
पत्नी दड़की देवी के नाम गलत रूप से तस्दीक करवाया गया है। उक्त नामान्तकरण वादीगण के हक
हकुकों के खिलाफ होने से आरम्भतः अवैध व शून्य है। इसके पश्चात दड़की देवी पत्नी देबूराम का
देहान्त होने पर दड़की के हिस्से की भूमि का फौतगी नामान्तकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3
के नाम से गलत रूप से दर्ज हो गया। वादिया संख्या 1 व 2 देबूराम व दड़की देवी की पुत्री सन्तान
होने से व वादीगण संख्या 4 से 5 देबूराम व दड़की देवी की पुत्री सन्तान स्वर्गीय गीता देवी की
वारिसान है। स्व. गीता पुत्री देबूराम व दड़की के देहान्त के पश्चात हुआ है। इस प्रकार दड़की देवी व
देबूराम के देहान्त होने पर उतराधिकार में गीता का हक हिस्सा वाद–पत्र की मद संख्या 1 में देबूराम
के 1/3 हक हिस्से की भूमि में जरिये उतराधिकार 1/6 हक हिस्सा प्राप्त हुआ था। उक्त 1/6 हक
हिस्से की स्वयं की खातेदारी की घोषणा करवाने के वादीगण 4 लगायत 5 कानूनन अधिकारी है।
फलस्वरूप उक्त विवादित भूमि पैतृक होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होती है। इस प्रकार उक्त भूमि
ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131,
132, 244, 246, 247, 76, 77, 177, 178, 181, 56 रकबा क्रमशः 0.54, 0.62, 0.48, 0.51, 0.21, 0.05, 2.
24, 0.94, 0.60, 1.72, 0.07, 0.65, 1.48, 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 11.71 हैक्टर भूमि
उक्त विवादित भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38
शामलाती खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप
से 1/3 हक हिस्से का व पृथक पृथक रूप से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/18 हक हिस्से व
तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/18 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित
किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपने हक हकुको की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी
ने वाद–पत्र में चाही गई विभाजन की सिद्धि को विड्रा कर निवेदन किया गया कि केवल घोषणा की
जावे विभाजन नही करवाना चाहते है अतः विभाजन की सिद्धि को छोड़कर वादी का वाद स्वीकार
फरमाया जाना उचित है। फलस्वरूप वादी वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने सेरूप से
स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण से स्वीकार किया जाता है। ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 244, 246, 247, 76, 77, 177, 178, 181, 56 रकबा क्रमशः 0.54, 0.62, 0.48, 0.51, 0.21, 0.05, 2.24, 0.94, 0.60, 1.72, 0.07, 0.65, 1.48, 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 11.71 हैक्टर भूमि उक्त विवादित भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38 शामलाती खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्से का व पृथक पृथक रूप से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/18 हक हिस्से व तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/18 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड [illegible] किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा–पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आ[illegible] 10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा : बाबत इश्तकरार हक, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 118/2021 **(संतोष देवी आदि बनाम रामदेव सिह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.10.2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम ढाका का बास तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130, 131, 132, 244, 246, 247, 76, 77, 177, 178, 181, 56 रकबा क्रमशः 0.54, 0.62, 0.48, 0.51, 0.21, 0.05, 2.24, 0.94, 0.60, 1.72, 0.07, 0.65, 1.48, 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 11.71 हैक्टर भूमि उक्त विवादित भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38 शामलाती खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्से का व पृथक पृथक रूप से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/18 हक हिस्से व तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/18 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

जिन............–............ मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.10.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:34 IST
Reason: SelfAttested